न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 34/2024

गंगादत्त पुत्र पन्ना जाति अहिर ग्राम छारदडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट निर्णय दिनांक 30/7/2021 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 91 एल.आर एक्ट मु.नं. 121/2021 ब उनवान सरकार बनाम गंगादत्त द्वारा न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली

निर्णय

दिनांक 23.9.2024

अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली के निर्णय ब उनवान मु.नं. 121/2021 सरकार बनाम गंगादत्त निर्णय दिनांक 30/7/2021 के विरूद्व अपील पेश की है जो निम्नभांति पेश की हैं :–

1. यह है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार पेश किये है कि पटवारी हल्का देवता ने एक रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की है कि सम्वत् 2078 में ग्राम देवता तहसील कोटपूतली के आ.ख. नं. 277 रकबा 0.79 हैक्टर पर किस्म गै.मु. व आराजी हाल खसरा नम्बर 1108/215/0.05 वाके मौजा देवता में PWD सडक में से 0.01 हैक्टर पर दुकान बनाकर व रूडी डालकर अप्रार्थी/अपीलान्ट ने अतिक्रमण कर लिया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी/अपीलान्ट को जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर अप्रार्थी/अपीलान्ट ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 277/0.79 वाके मौजा छारदडा मुताबिक जमाबंदी गै.मु. आबादी की भूमि है तथा गै.मु. आबादी की भूमि में प्रकरण की सुनवायी का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नहीं है तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 1108/215/0.05 PWD की भूमि है। इसलिए उपरोक्त वाद सुनवायी का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नहीं है। प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 12/7/2021 नियत् की गयी थी तद्परान्त दिनांक 12/7/2021 को आगामी तारीख पेशी 31/7/2021 बतायी गयी थी, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/अपीलान्ट को बिना सूचित किये दिनांक 30/7/2021 को नियत् कर पत्रावली का निस्तारण कर अपीलान्ट का आराजी हाल खसरा नम्बर 277/0.79 वाके मौजा छारदडा किस्म गै.मु. आबादी 0.03 हैक्टर यानि 3 वर्गमीटर भूमि पर पुख्ता निर्माण जाहिर करते हुये प्रार्थी/अपीलान्ट को बेदखल के आदेश पारित किये जिसके विरूद्व अपील प्रस्तुत की है।
2. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 30/7/2021 विधि विरूद्व व न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

3. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का ग्राम बेवता की भूमि बाबत रिपोर्ट दिनांक 12/4/2021 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसकी अनुपालना में तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अपीलान्ट को आराजी हाल खसरा नम्बर 277/0.79, 1108/215/0.05 वाके मौजा छारवडा में अतिक्रमण बाबत नोटिस दिया तथा नोटिस में आराजी हाल खसरा नम्बर 1108/215/0.05 में 0.003 हैक्टर भूमि पर दुकान बनाकर अतिक्रमण जाहिर करते हुए जवाब चाहा जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि उनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया है तथा ख.नं. 277/0.79 गै.मु. आबादी की भूमि है व ख.नं. 1108/215 PWD की भूमि है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय को सुनवायी का अधिकार नहीं है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिये अपीलान्ट की अनुपस्थिति में दिनांक 30/7/2021 को आराजी हाल खसरा नम्बर 277/0.79 वाके मौजा छारवडा में 0.003 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण जाहिर करते हुए बेदखली के आदेश पारित किये है, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर स्वयं तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को दिये गये नोटिस के अनुसार अपीलान्ट के द्वारा आराजी हाल ख.नं. 1108/215/0.05 हैक्टर भूमि पीडब्लूडी की सडक में 0.003 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण जाहिर किया है। ऐसी सूरत में स्वयं अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का व अपने द्वारा व पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विपरीत जाकर उपरोक्त आदेश पारित करने की भारी भूल की है।

4. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/7/2021 के विरुद्ध अपील सुनने एवं तैय करने का अधिकार श्रीमान् का है तथा अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 30/7/2021 ब उनवान सरकार बनाम मंगादत्त द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील कोटपूतली को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

5. अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। अपील समायत पायी जाने पर रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु नियमानुसार सम्मन नोटिस जारी किये बाद सूचना व तामील होने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया था। उक्त दोनों प्रकरणों में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानानुसार कार्यवाही कर अपीलान्ट को सुनवायी कर अपीलान्ट को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का यह कथन अस्वीकार है कि हाल ख.नं. 277 रकबा 0.79 हैक्टर मौजा छारदडा मुताबिक जमाबंदी गै.मु. आबादी की भूमि है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ख.नं. 277 रकबा 0.79 हैक्टर किस्म गै.मु. आडवानी है। मौके पर कोई आबादी भूमि स्थित नहीं है। ख.नं. 277 राजकीय सिवायचक खाते की भूमि है तथा ख.नं. 1108/215/0.05 किस्म PWD सडक में उक्त दोनों प्रकार की भूमियों पर अतिक्रमण किये जाने की दशा में धारा 91 के प्रावधान लागू होते है एवं भूमिधारी तहसीलदार को यह अधिकार है कि सिवायचक भूमि की सुरक्षा एवं संरक्षण कर उन्हें खुर्द-बुर्द होने एवं अतिकमण से बचाये। प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट का यह कथन भी अस्वीकार है कि उन्हें सुनवायी का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, जबकि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 18/6/2021 को स्वयं का लिखित जवाब अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्य के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। इसलिए अपीलान्ट की अपील हर्जा-खर्चा खारिज फरमानें की कृपा करें।

6. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि आराजी हाल ख.नं. 277/0.79 वाके मौजा छारदडा मुताबिक जमाबंदी गै.मु. आबादी की भूमि है। गै.मु. आबादी की भूमि में सुनवायी का अधिकार अधिनिस्थ न्यायालय को नही है तथा आराजी उपरोक्त वाद सुनवायी का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट की नियत् तारीख 12/7/2021 को

अति. जिला ... कोटपूतली (जयपुर)

आगामी तारीख 31/7/2021 बतायी गयी थी, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट को बिना सूचित किये दिनांक 30/7/2021 तारीख पेशी नियत कर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्व बेदखली के आदेश पारित कर दिये जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विरीत है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब में कथन किया गया था कि उनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया है तथा ख.नं. 277 गै.मु. आबादी की भूमि है व ख.नं. 1108/215 PWD की भूमि है। इसलिये अधिनस्थ न्यायालय की सुनवायी का अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मु.नं. 121/2021 ब उनवान सरकार बनाम गंगादत्त निर्णय दिनांक 30/7/2021 को अपास्त किया जावें।

7. रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ख.नं. 277 रकबा 0.79 हैक्टर किस्म गै. मु. आडवानी है। मौके पर कोई आबादी भूमि स्थित नहीं है। ख.नं. 277 राजकीय सिवायचक खाते की भूमि है तथा ख.नं. 1108/215/0.05 किस्म पीडब्लूडी की भूमि है। उक्त दोनों प्रकार की भूमियों पर अतिकमण किये जाने की दशा में एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 के प्रावधान लागू होते है। भूमिधारी तहसीलदार को सिवायचक भूमि की सुरक्षा एवं सरंक्षण कर उन्हें खुर्द–बुर्द होने से बचाये रखने का अधिकार है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा राजकीय भूमि पर अतिकमण किया है। धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अपीलानट/गैर सायल के विरूद्व निर्णय पारित किया है वह न्याय संगत है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील खारिज फरमावें ।

8. प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रवली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, साक्ष्य सबूतों का अवलोकन किया तथा अवलोकन करने एवं प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील कोटपूतली द्वारा पारित आदेश मु.न. 121/2021 ब उनवानी सरकार बनाम गंगादत्त में धारा 91 के तहत् दिनांक 30/7/2021 को निर्णय पारित कर पुख्ता निर्माण को हटाया जाकर गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये है तथा लगान का पचास गुना 16 रूपये अर्थदण्ड के जुर्माना से दण्डित किया है। पटवारी हल्का द्वारा आराजी ख.नं. 277 रकबा 0.79 हैक्टर गै.मु. में से 0.01 हैक्टर भूमि पर रूडी बलीता डालकर अतिक्रमण किया हुआ होना बताया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 एल.आर एक्ट 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही कर अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्व दिनांक 30/7/2021 को निर्णय पारित किया है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में जाहिर किया है कि पटवारी हल्का द्वारा गै.मु. आबादी की भूमि में अतिक्रमण की रिपोर्ट की है जो गै.मु. आबादी भूमि में अधिनस्थ न्यायालय को अतिकमण बाबत निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है साथ ही यह भी कथन किया कि अपीलान्ट/गैर सायल के अलावा ग्राम के अन्य व्यक्तियों स्थायी/अस्थाई अतिक्रमण कर रखा है। यदि प्रार्थी अपीलान्ट का मौके पर अतिकमण माना जाता है तो इसके अलावा अन्य ग्रामवासियों का भी मौके पर अतिकमण है। उन्हें भी मौके से बेदखल किया जावें। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है। इसलिए अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30/7/2021 को अपास्त किया जावें।

चूँकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मु.नं. 121 ब उनवान सरकार बनाम गंगादत्त में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक निर्णय पारित कर अपीलान्ट/गैर सायल को मौके से बेदखल करने का निर्णय पारित किया है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में जाहिर किया है कि आ.ख.नं. 277 रकबा 0.79 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर भूमि पर नाजायज रूप से रूडी बलीता डालकर अतिकमण होना बताया है। वह आबादी भूमि है।

अति. जिला कलक्टर

आबादी भूमि पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली को प्रार्थी/अपीलान्ट को बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। आबादी भूमि में अपीलान्ट/गैर सायल के अलावा अन्य ग्रामवासियों का भी स्थायी अतिक्रमण है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट के विरूद्व दिनांक 30/7/2021 को निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय में अपीलान्ट को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के जुर्म में मौके से बेदखली एवं पैनल्टी के आदेश पारित हुये है। मौके पर अपीलान्ट के अलावा अन्य व्यक्तियों का भी वकील अपीलान्ट द्वारा स्थायी/अस्थाई अतिक्रमण होना बताया है। इसलिए प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित रिमाण्ड किया उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप तहसीलदार कोटपूतली को प्रकरण प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौके पर पहुंच कर पुनः सीमाज्ञान कर यदि अपीलान्ट एवं अन्य व्यक्तियों का अतिक्रमण पाया जावें तो नियमानुसार उन्हें सूचित कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 23.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)